



FIROZABAD POLICE

“ सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा ”



सराहनीय कार्य दिनांक 03-03-2023 थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद ।

श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय जनपद फिरोजाबाद के आदेश के अनुपालन में थाना फरिहा पुलिस व राजस्व टीम द्वारा धारा 14(1) के अन्तर्गत अभियुक्त प्रदीप कुमार व मनोज कुमार व मुन्नेश उर्फ अरविन्द कुमार की कुल अचल सम्पत्ति 1,16,37750/- रुपये (1 करोड 16 लाख 37 हजार 750 रुपये) को मौके पर जाकर किया गया कुर्क ।

- जिलाधिकारी महोदय द्वारा अभियुक्तों की कुल 1,47,60140 (01 करोड 47 लाख 60 हजार 140 रुपये) की चल- अचल सम्पत्ति को कुर्क करने का दिया गया है आदेश ।
- थाना फरिहा पुलिस एवं प्रशासन टीम द्वारा 1,1637750 की सम्पत्ति को किया जा चुका है कुर्क, अन्य थाना एतमादपुर क्षेत्रान्तर्गत शेष चल-अचल सम्पत्ति पर कार्यवाही प्रचलित है ।
- जिलाधिकारी महोदय एवं एसएसपी फिरोजाबाद के निर्देशन में अपराधियों पर लगातार की जा रही है प्रभावी कार्यवाही ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद की आख्या दिनांक 06.02.2023 जो प्रभारी निरीक्षक थाना एका के प्रत्यावेदन दिनांक 05.02.2023 मय संलग्न प्रपत्रों सहित न्यायालय को प्रेषित किया गया जिसमें उल्लेख किया गया थाना स्थानीय फरिहा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 225/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में नामजद अभियुक्त प्रदीप कुमार , मनोज कुमार पुत्रगण ओसान सिंह निवासीगण रानीपुर थाना फरिहा जनपद फिरोजबाद व मुन्नेश उर्फ अरविन्द पुत्र कप्तान सिंह निवासी रानीपुर थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद हाल पता मोहल्ला कटरा सराय एतमादपुर थाना एतमादपुर जिला आगरा के विरुद्ध पंजीकृत है जिसमें गैंगलीडर प्रदीप कुमार उपरोक्त व उसके साथी मनोज व मुन्नेश पहले एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति थे जो दूध क्रीम का व्यापार कर अपने अपने परिवार का पालन पोषण करते थे । गैंगलीडर प्रदीप कुमार उपरोक्त अपने साथी मनोज व मुन्नेश के साथ मिलकर लगभग 10,12 वर्षों से मिलावटी दूध व क्रीम का व्यापार कर रहे थे जिनके विरुद्ध वर्ष 2022 में शिकायत मिलने पर खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 07.10.2022 को प्रथम बार गैंगलीडर प्रदीप कुमार व उसके साथियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ अभियुक्त प्रदीप कुमार व मनोज व मुन्नेश के द्वारा 10-12 वर्ष से लगातार अपराध कारित कर कई अवैध चल व अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी है जिसको आज श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद के आदेशानुसार कुर्क किया गया है ।

कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरण -

1. मौजा रानीपुर की गाटा संख्या 115 क/0.324 है 0 आदि कुल 03 किता रकवा जिसकी कीमत 21,93,175/ रूपये हैं ।
2. मौजा दादनपुर के गाटा संख्या 70/0.433 है 0 जिसकी कीमत 3,55,060/रूपये है ।
3. मौजाद दादनपुर के गाटा संख्या 58/2 रकवा 0.093 है 0 जिसकी कीमत 9,68,200/रूपये है ।
4. मौजाद दादनपुर के गाटा संख्या 58/2मि रकवा 0.93 है 0 व 63मि रकवा 0.113 है 0 जिसकी कीमत 4,48,100/रूपये हैं ।
5. मौजा दादनपुर के गाटा संख्या 58/2 रकवा 0.093 है 0 से 25 वर्गमीटर का दान प्रलेख संख्या 3529/2015 जिसकी कीमत 48750/-रूपये हैं ।
6. मौजा रानीपुर के गाटा संख्या 77 रकवा 4.419 है 0 जिसकी कीमत 15,83,475/- रूपये हैं ।
7. मौजा रानीपुर के गाटा संख्या 123/5ख रकवा 0.809 है 0 जिसकी कीमत 18,90,700/- रूपये है।
8. मौजा रानीपुर के गाटा संख्या 46/2 रकवा 1.394 है 0 जिसकी कीमत 15,63,480/रूपये है ।
9. मौजा दादनपुर के गाटा संख्या 70 रकवा 0.433 है 0 जिसकी कीमत 3,55,060/- रूपये है ।
10. मौजा फरिहा के गाटा संख्या 590 रकवा 0.214 है 0 जिसकी कीमत 5,99,200/रूपये है।
11. मौजा नगला दास के गाटा संख्या 79/03 रकवा 0.405 है 0 जिसकी कीमत 4,49,250/रूपये है।
12. मौजा नगला किरू के गाटा संख्या 19 रकवा 0.458 है 0 जिसकी कीमत 8,47,300/रूपये हैं ।

सम्पत्ति कुर्क करने वाली टीम-

1. श्री राजवीर सिंह क्षेत्राधिकारी महोदय जसराना जनपद फिरोजाबाद ।
2. तहसीलदार पुष्पेन्द्र कुमार तहसील जसराना जनपद फिरोजाबाद ।
3. लेखपाल मनोज यादव तहसील जसराना जनपद फिरोजाबाद ।
4. लेखपाल देवेन्द्र तहसील जसराना जनपद फिरोजाबाद ।
5. शिवभान सिंह राजावत थानाध्यक्ष थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद ।
6. का0 1068 गौरव कुमार थाना फरिहा फिरोजाबाद ।
7. का0 971 वैभव कुमार थाना फरिहा फिरोजाबाद ।
8. का0 529 राकेश थाना फरिहा फिरोजाबाद ।
9. का0 430 रहमान अली थाना फरिहा फिरोजाबाद ।
10. है 0 का 0 625 दीवान सिंह थाना फरिहा फिरोजाबाद ।
11. है 0 का 0 568 वेदप्रकाश थाना फरिहा फिरोजाबाद ।